vinetur

भारत ने कुछ बल्क स्कॉच आयात पर 162.5% का कुल आयात बोझ लगाया

सीमा शुल्क वर्गीकरण विवाद से स्थानीय ब्लेंड में इस्तेमाल होने वाली सांद्र व्हिस्की की लागत समझौते से पहले के स्तर से ऊपर पहुंची

गुरुवार, 19 नवंबर 2026



बुधवार, 18 नवंबर को Business Today में प्रकाशित Reuters की एक पड़ताल के अनुसार, भारत ने बल्क में आयात की जाने वाली कुछ स्कॉच व्हिस्की पर टैरिफ और करों का कुल प्रभावी बोझ 162.5% लगाया है। इससे सीमा पर इन खेपों के वर्गीकरण को लेकर चल रहे व्यापार विवाद का दबाव बढ़ गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में यह बोझ स्कॉटलैंड से आयात की जाने वाली स्कॉच व्हिस्की की कुछ खेपों पर लागू होता है, जिनका इस्तेमाल स्थानीय उत्पादक ब्लेंड बनाने के लिए करते हैं। रिपोर्ट में आठ सूत्रों और एक सरकारी दस्तावेज़ के हवाले से कहा गया है कि भारतीय सीमा शुल्क अधिकारी व्हिस्की के सांद्रित इनपुट के वर्गीकरण को चुनौती दे रहे हैं। यह विवाद संवेदनशील हो गया है, क्योंकि इससे भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक व्यापार समझ के दायरे में आने वाला उत्पाद प्रभावित होता है। इस मुद्दे पर बातचीत में यूनाइटेड किंगडम की सरकार निर्यातकों के हितों का प्रतिनिधित्व

कर रही है।

162.5% का आंकड़ा इसलिए अहम है, क्योंकि व्यापार समझौते के तहत पात्र स्कॉच पर टैरिफ घटाए जाने के बाद कई कंपनियों को इससे कम बोझ की उम्मीद थी। इस समझौते के तहत पात्र स्कॉच पर टैरिफ घटाकर 75% कर दिया गया था। लेकिन यह टैरिफ दर अब रिपोर्ट किए जा रहे कुल बोझ के समान नहीं है। 162.5% का आंकड़ा प्रभावित आयात पर लगाए गए टैरिफ और अन्य करों के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है, जिसकी गणना आयात मूल्य के आधार पर की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, इसका मतलब है कि कुल शुल्क समझौते से पहले लागू 150% के स्तर से 12.5 प्रतिशत अंक अधिक है। यह तुलना आयातकों और डिस्टिलरों की मुख्य शिकायत को रेखांकित करती है : व्यापार समझौते में टैरिफ कटौती के बावजूद, सीमा शुल्क विभाग द्वारा इन बल्क खेपों के वर्गीकरण का तरीका कंपनियों पर पहले से अधिक कुल राजकोषीय लागत डाल सकता है।

यह विवाद बल्क स्कॉच को लेकर है, न कि बोतलबंद व्हिस्की के व्यापक बाजार को लेकर। उद्योग से जुड़े लोगों को चिंता है कि इन सांद्रित आयातों पर सीमा शुल्क का व्यवहार स्कॉच को इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करने वाले भारतीय निर्माताओं की उत्पादन लागत बढ़ा सकता है, जिससे मार्जिन पर दबाव पड़ेगा और कार्यशील पूंजी की जरूरत बढ़ेगी। ब्लेंड बनाने के लिए बड़ी मात्रा में आयात करने वाली कंपनियों के लिए, कम टैरिफ और कहीं अधिक प्रभावी आयात बोझ के बीच का अंतर सीधे कीमतों, नकदी प्रवाह और आपूर्ति नियोजन को प्रभावित कर सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्गीकरण का मुद्दा अनसुलझा रहने के दौरान कुछ खेपों को आयातकों द्वारा भुगतान करने और गारंटी देने के बाद अस्थायी रूप से सीमा शुल्क मंजूरी दी जा रही है। इस व्यवस्था से आपूर्ति जारी रखने में मदद मिल सकती है, लेकिन कंपनियां अंतिम लागत को लेकर अनिश्चितता के दायरे में रहती हैं। सीमा शुल्क के फैसले या नीतिगत स्पष्टीकरण का इंतजार करते हुए व्यवसायों को आम तौर पर विवादित राशियों का हिसाब रखना पड़ता है।

यूनाइटेड किंगडम की इस मामले में सीधी दिलचस्पी है, क्योंकि स्कॉच व्हिस्की उसके सबसे चर्चित निर्यात उत्पादों में से एक है और भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण विकासशील स्पिरिट बाजारों में शामिल है। व्यापार व्यवस्था की शर्तों को भारतीय सीमा शुल्क विभाग किस तरह लागू करता है, इसे लेकर किसी भी विवाद का असर आपूर्ति शृंखला के दोनों ओर के निर्यातकों, भारतीय बॉटलरों और वितरकों पर पड़ सकता है।

Business Today ने कहा कि उसकी रिपोर्ट Reuters की पड़ताल पर आधारित थी, जिसमें आठ सूत्रों के साक्षात्कार और एक सरकारी दस्तावेज़ शामिल थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मूल प्रशासनिक दस्तावेज़ का स्वतंत्र रूप से सीधे सत्यापन नहीं हो सका। इससे सीमा शुल्क कार्रवाई के पीछे की सटीक आधिकारिक भाषा को लेकर कुछ अनिश्चितता बनी हुई है, हालांकि रिपोर्ट किया गया 162.5% का बोझ उत्पादकों और व्यापार अधिकारियों का ध्यान खींच चुका है।

यह मामला आयातकों के लिए एक सीमित, लेकिन महत्वपूर्ण पहलू भी उजागर करता है : रिपोर्ट किए गए बोझ को भारत में बिकने वाली सभी स्कॉच व्हिस्की पर लागू दर नहीं मानना चाहिए। रिपोर्ट में वर्णित मुद्दा उन खास बल्क आयातों से जुड़ा है जिनका वर्गीकरण विवादित है, न कि देश में आने वाली सभी बोतलबंद व्हिस्की से। कंपनियों और अधिकारियों के बीच इन उत्पादों पर व्यापार समझौते को लागू करने के तरीके को लेकर बातचीत जारी रहने के दौरान यह अंतर अहम बना रह सकता है।